राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 03/2025

हेमलता स्वामी —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरू।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उडसर, लोडेरा, ब्लॉक सरदारशहर, जिला चूरू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.12.2024
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 (हिन्दी) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उडसर, लोडेरा, ब्लॉक सरदारशहर, चूरू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, Rukhasar, ब्लॉक रतनगढ़, चूरू में काउंसलिंग किए बिना और साथ ही पास के रिक्त पद को दर्शाए बिना स्थानांतरित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा शिक्षकों को अपीलार्थी की तरह सरप्लस घोषित करके उनकी पोस्टिंग के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 27.12.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया

कि अपीलार्थी एकल महिला है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से लगभग 75 कि.मी. दूर स्थान पर पदस्थापित है। एकल महिला के प्रकरण में अभ्यावेदन पर विचार किया गया है और उन्हें निकटवर्ती स्थान पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी का भाई दोनों आखों से 100 प्रतिशत अंधेपन की विकलांगता पीड़ित है और परिवार में अपीलार्थी के अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। विकलांगता प्रमाण पत्र अनुलग्नक–4 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 हिन्दी के पद पर कार्यरत है तथा जिस विद्यालय में अपीलार्थी का स्थानान्तरण हुआ है वहा पर केवल एक पद स्वीकृत है, जिस पर अन्य कार्मिक श्री राकेश कुमार कार्यरत है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी का स्थानान्तरण रिक्त पद की उपलब्धता के बिना किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उडसर, लोडेरा, ब्लॉक सरदारशहर, चूरू में कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से निवेदन किया कि अधिशेष घोषित कर स्थानान्तरण/समायोजन की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष कर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उडसर, लोडेरा, ब्लॉक सरदारशहर, चूरू से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, Rukhasar, ब्लॉक रतनगढ़, चूरू में कर दिया गया। अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 हिन्दी के पद पर कार्यरत है। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर जिस विद्यालय में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है वहा पर केवल एक पद ही स्वीकृत है, जिस पर अन्य कार्मिक कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना रिक्त पद के किया गया है। इस स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी एक सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश

(Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य